

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख-3, सुरक्षा) विभाग

क्रमांक : प. 12(23)कार्मिक/ख-3/सुरक्षा/94 जयपुर, दिनांक 10/08/2009

:: परिपत्र ::

शासन सचिवालय परिसर में पदस्थापित अधिकारीगण/ कर्मचारीगण के दो पहिया वाहनों के प्रवेश की व्यवस्था सहदेव मार्ग से एवं निकास की व्यवस्था तिलक मार्ग स्थित निकास द्वार से की गई है लेकिन ऐसा देखने में आया है कि अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बावजूद सहदेव मार्ग स्थित प्रवेश द्वार को ही अपने वाहनों के निकास के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः सचिवालय परिसर में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पुनः अनुरोध है कि सहदेव मार्ग स्थित द्वार को वाहनों के प्रवेश के लिए एवं तिलक मार्ग स्थित द्वार को निकास के लिए उपयोग में लिया जावे।

आज्ञा से,

y/cm/212
पंजीयक, 7/8/09

शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
4. समस्त शासन उप सचिव।
5. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय।
6. सचिवालय परिसर स्थित सभी संघों के अध्यक्षगण।
7. समस्त सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी।
8. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिवालय परिसर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष।
10. नोटिस बोर्ड।

y/cm/212
पंजीयक 7/8/09